भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद के सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं अन्य कार्यो के लिए संविदाकारों / आपूर्तिकर्ताओं को पेनलबद्ध करने हेतु आमंत्रण

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद अपनी विभिन्न संपतियों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और अन्य कार्यों के लिए संविदाकारों / आपूर्तिकर्ताओं को पेनलबद्ध करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

विभिन्न ट्रेड और कैटेगरी में आपूर्तियाँ / कार्यों की सीमा रुपये 100 लाख तक की रहेगी।

यह पैनल **01 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2030 अर्थात तीन वर्ष की अवधि** के लिए बाध्य रहेगा।

इच्छुक संविदाकार / आपूर्तिकर्ता बैंक की वेबसाइट '**https://www.rbi.org.in**' पर '**निविदाएँ**' लिंक के अंतर्गत आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं एवं आवेदन पत्र निम्न पते से प्राप्त कर सकते है।

उपमहाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, चौथी मंजिल, गांधी ब्रिज के निकट, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009

इच्छुक संविदाकार / आपूर्तिकर्ता निविदा पत्र में दर्शाई गई श्रेणियों के लिए एकल या एकाधिक कार्यों (ट्रेडों) हेतु पैनलीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक संविदाकार / आपूर्तिकर्ता किसी एक कार्य (ट्रेड) के लिए या एक से अधिक श्रेणियों या सभी श्रेणियों के लिए वे अपनी इच्छानुसार पात्रता जमा कर सकते हैं।

सूचना: अधिक राशि वाले ट्रेड के लिए आवेदन करने पर संविदाकार / आपूर्तिकर्ता कम राशि वाले ट्रेड में भाग लेने के लिए भी पात्र रहेंगे ।

सील बंध लिफाफा जमा करने की आखरी तारीख 23 नवंबर 2026 को शाम 05:00 तक है।

निविदाकार को पूर्णरूप से भरे आवेदन पत्र को आवश्यक रूप से **सीलबंध लिफाफे में जिस पर "2027-2030 हेतु पैनलीकरण – संपदा विभाग" अंकित हो, तथा उसे निम्न पते पर दिनांक 23 नवंबर 2026 को 05:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य है।**

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, चौथी मंजिल, गांधी ब्रिज के निकट, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009

बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं की सूचीबद्धता के सबंध में आवेदकों पर भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में यदि कोई भी विस्तार या संशोधन होगा तो उसे बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

क्षेत्रीय निर्देशक
गुजरात राज्य, दादरा नगर हवेली, एवं दमन और दीव संघराज्य क्षेत्र
23 अक्टूबर 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
अहमदाबाद

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के सिविल, इलेक्ट्रिकल और अन्य कार्यों के लिए संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं के पैनल के लिए सूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद अपनी विभिन्न संपत्तियों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और अन्य कार्यों हेतु संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाने के लिए मुहरबंद आवेदन आमंत्रित करता है।
विभिन्न ट्रेड और श्रेणियों में आपूर्तियाँ / कार्यों की सीमा 1 करोड़ रुपये तक की रहेगी।
यह पैनल तीन वर्ष की अवधि अर्थात 01 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2030 के लिए प्रभावी रहेगा।
इच्छुक संविदाकार / आपूर्तिकर्ता बैंक की वेबसाइट 'www.rbi.org.in' पर 'निविदाएं' लिंक के अंतर्गत आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं अथवा आवेदन पत्र निम्न पते से प्राप्त कर सकते है। उपमहाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, चौथी मंजिल, गांधी ब्रिज के निकट, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009
इच्छुक संविदाकार / आपूर्तिकर्ता निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई श्रेणियों हेतु एकल या एकाधिक कार्यों (ट्रेडों) हेतु पैलन में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी कार्य के लिए आवेदन किसी एक श्रेणी या एक से अधिक श्रेणियों या सभी श्रेणियों के लिए उनकी पात्रता/इच्छा के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। नोट: अधिक राशि वाले ट्रेड के लिए आवेदन करने पर संविदाकार/आपूर्तिकर्ता कम राशि वाले ट्रेड में भाग लेने के लिए भी पात्र रहेंगे ।
मुहरबंद लिफाफा जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026, अपराह्न 5 बजे तक है।
आवेदनकर्ता को पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ मुहरबंद लिफाफे, जिसपर "2027-2030 हेतु पैनल बनाना – संपदा विभाग" अंकित हो, को निम्न पते पर 23 नवंबर 2026 को 5 बजे या इससे पहले जमा करना होगा। **क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, चौथी मंजिल, गांधी ब्रिज के निकट, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009**
बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाने में भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद का निर्णय अंतिम होगा और आवेदकों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के समय विस्तार या संशोधन को बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
क्षेत्रीय निदेशक **गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र**
स्थान: अहमदाबाद दिनांक: 23 अक्तूबर 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
अहमदाबाद

01 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2030 तक की अवधि के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और अन्य कार्यों के लिए संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं के पैनल के लिए आवेदन

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
संपदा विभाग,
मुख्य कार्यालय भवन,
गांधी पुल के पास,
आश्रम रोड,
अहमदाबाद-380009

आवेदक का नाम: _____

पता: _____

_____

_____

संपर्क नंबर: _____

ई-मेल पता: _____

कार्य का नाम: _____

श्रेणी: _____

स्थान:

दिनांक:

मुहरबंद लिफाफे जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026, अपराह्न 5 बजे है।

अनुक्रमणिका

खंड सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
खंड – 1	संविदाकारों के पैनल के लिए कार्यों और श्रेणी के साथ विस्तृत सूचना	5 - 9
खंड – 2	पूर्व-अर्हता मानदंड	10 - 12
खंड – 3	आवेदकों के लिए सामान्य अनुदेश	13 - 14
खंड – 4	आवेदकों के लिए सांविधिक प्रावधान और अन्य निर्देश	15 - 20
खंड – 5	आवेदन का प्रपत्र	21 - 27
अनुलग्नक - I	संविदाकार/फर्म के निष्पादन के संबंध में ग्राहक प्रमाण पत्र	28 - 29
अनुलग्नक - II	अनुसूचित बैंक से बैंकरों के प्रमाण पत्र का प्रपत्र	30
अनुलग्नक – III	संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं का संक्षिप्त विवरण (अधिदेश प्रपत्र)	31
अनुलग्नक - IV	सार्वजनिक संस्थानों (संस्थाओं) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचनपत्र	32
अनुलग्नक - V	सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में वचनपत्र	33
प्रस्तुत किए गए/प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेजों की जांच-सूची		34-35

खंड – 1

अप्रैल 01, 2027 से मार्च 31, 2030 की अवधि के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और अन्य कार्यों के लिए संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाने के लिए ट्रेड और श्रेणी के साथ विस्तृत सूचना

भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद विभिन्न ट्रेडों की लागत के संबंध में कार्यों/आपूर्ति करने के लिए तीन साल (वार्षिक समीक्षा के अधीन) के लिए वैध प्रतिष्ठित संविदाकारों का एक पैनल तैयार करना चाहता है:

श्रेणियाँ	**ट्रेड (लागत)**
श्रेणी – 1	**₹ 2 लाख तक**
श्रेणी – 2	**₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख तक**
श्रेणी – 3	**₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक**
श्रेणी – 4	**₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख तक**
श्रेणी – 5	**₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख तक**
श्रेणी – 6	**₹ 50 लाख से ₹ 75 लाख तक**
श्रेणी – 7	**₹75 लाख से ₹100 लाख तक**

क्र. सं.	ट्रेड का नाम	I	II	III	IV	V	VI	VII
		₹ 2 लाख तक	Above ₹ 2 Lakhs upto ₹ 5 Lakhs	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक	₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख तक	₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख तक	₹ 50 लाख से ₹ 75 लाख तक	₹75 लाख से ₹100 लाख तक
	सिविल कार्य							
1	सामान्य सिविल कार्य जिसमें मरम्मत, नवीकरण कार्य, वाटर प्रूफिंग, बढ़ईगीरी, सेनिटरी, प्लंबिंग और छत/सिंक स्लैब की वाटर प्रूफिंग, भवनों की संरचनात्मक मरम्मत कार्य, हार्डवेयर की संस्थापना, प्लंबिंग, डामर/बिटुमिनस सड़क/फुटपाथ/रिसर्फेसिंग कार्य/सीसी रोड शामिल है। एल्यूमीनियम/यूपीवीसी खिड़कियों की संस्थापना, बैंक के परिसर की बाहरी और आंतरिक पेंटिंग कार्य जिसमें मामूली सिविल मरम्मत कार्य, लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिशिंग आदि शामिल हैं।	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	मॉड्यूलर वर्क स्टेशनों/मॉड्यूलर फर्नीचर/स्टोरेज कॉम्पैक्टर्स की आयोजना, डिजाइन, आपूर्ति और संस्थापना - मॉड्यूलर वर्कस्टेशन/स्टोरेज कॉम्पैक्टर की आपूर्ति और संबद्ध कार्य सहित संस्थापना। (संविदाकार इस कार्य से संबंधित विस्तृत ड्राइंग जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा)	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓
3	संरचनात्मक मरम्मत, पुनर्वास और रेट्रोफिटिंग से संबंधित कार्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓
4	स्टील कार्यालय फर्नीचर की आपूर्ति और मरम्मत जिसमें कार्यालय/एग्जिक्यूटिव चेयर, सीट और बैक, टेबल, अलमारी, बैक सेल्फ, सोफा सेट, पोडियम सह कंप्यूटर स्टैंड आदि शामिल हैं।	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	ट्रेड का नाम	I	II	III	IV	V	VI	VII
		₹ 2 लाख तक	Above ₹ 2 Lakhs upto ₹ 5 Lakhs	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक	₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख तक	₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख तक	₹ 50 लाख से ₹ 75 लाख तक	₹75 लाख से ₹100 लाख तक
5	वेनिशियन पर्दे, वर्टिकल पर्दे, रोलर पर्दे, ज़ेबरा पर्दे, कालीन, विनाइल, साज-सामान और गिलास आदि की आपूर्ति, संस्थापना और रखरखाव।	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	डिस्प्ले सिस्टम जैसे बोर्ड / साइन बोर्ड (प्रकाशित बोर्ड सहित) / व्हाइट बोर्ड / नेम प्लेट / धातु प्लेट / धातु पत्र, फ्लेक्स बैनर प्रिंटिंग, रबर स्टैम्प आदि की आपूर्ति।	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एमएस स्टील/एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन कार्य, मॉड्यूलर किचन, एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन कार्य (केबिन, वर्कस्टेशन आदि) प्रदान करने सहित बढ़ईगीरी कार्य, मौजूदा लकड़ी के फर्नीचर आदि की मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है।	✓	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं
8	ओवरहेड टैंकों और भूमिगत नाबदान की सफाई	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	कबाड़, कचरे और अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	वेट राइजर, पंप और स्प्रिंकलर, अग्निशमन यंत्र और संबद्ध प्रणालियों आदि सहित फायर फाइटिंग संबंधी यंत्रों की आपूर्ति, मरम्मत और रखरखाव।	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	**सिविल और इलेक्ट्रिकल (संयुक्त कार्य) –**						✓	✓

क्र. सं.	ट्रेड का नाम	I	II	III	IV	V	VI	VII
		₹ 2 लाख तक	Above ₹ 2 Lakhs upto ₹ 5 Lakhs	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक	₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख तक	₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख तक	₹ 50 लाख से ₹ 75 लाख तक	₹75 लाख से ₹100 लाख तक
	सिविल - सामान्य सिविल कार्य जिसमें मरम्मत, नवीकरण कार्य, वाटर प्रूफिंग, बढ़ईगीरी, सैनिटरी, प्लंबिंग और वॉटरप्रूफिंग, स्ट्रक्चरल रिपेयर वर्क, हार्डवेयर की संस्थापना, प्लंबिंग, एल्यूमीनियम / सीपीवीसी खिड़कियों की संस्थापना, आंतरिक पेंटिंग का काम, लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिशिंग, ब्लाइंड्स और ग्लास फिल्म की आपूर्ति और संस्थापना आदि शामिल हैं। विद्युत - वितरण बोर्ड (डीबी), लाइट फिटिंग, फिक्स्चर, पंखे, दीवार घड़ियों, तारों, केबलों, स्विच, विद्युत केबलिंग कार्य, विद्युत वायरिंग कार्य, टेलीफोन उपकरण, पीए सिस्टम, स्मॉल स्केल सी.सी.टी.वी. प्रणाली आदि जैसे विद्युत यंत्रों की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)/रखरखाव/मरम्मत।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
	<u>इलेक्ट्रिकल कार्य</u>							
12	विद्युत मरम्मत, पुनः वायरिंग, केबलिंग, पैनल कार्य आदि।	✓	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एयर कंडीशनिंग उपकरण (विंडो, स्प्लिट, कैसेट एसी यूनिट, टॉवर एसी, पैकेज/डक्टेबल एसी यूनिट, वीआरएफ सिस्टम, प्रिसिजन एसी) का रखरखाव	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	ट्रेड का नाम	I	II	III	IV	V	VI	VII
		₹ 2 लाख तक	Above ₹ 2 Lakhs upto ₹ 5 Lakhs	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक	₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख तक	₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख तक	₹ 50 लाख से ₹ 75 लाख तक	₹75 लाख से ₹100 लाख तक
14	सौर जल हीटर प्रणाली और सौर आधारित बिजली उत्पादन प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और रखरखाव	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	टेलीफोन वायरिंग कार्य/ईपीबीएएक्स प्रणाली और टेलीफोन लाइनों का रखरखाव	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	स्प्लिट एसी, कैसेट एसी, टावर एसी, पैकेज/डक्टेएबल एसी यूनिट, वीआरएफ सिस्टम, प्रिसिजन एसी, सीएफयू, एएचयू आदि की आपूर्ति और संस्थापना और एसी डक्टिंग कार्य।	✓	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं
17	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वाटर प्यूरीफायर/आरओ, वाटर डिस्पेंसर, वाटर कूलर, वाटर गीजर, चिमनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं आदि की आपूर्ति।	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
18	सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, वीडियो फोन, कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली आदि की आपूर्ति और रखरखाव।	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19	पैनल, वायरिंग, फिटिंग/फिक्स्चर, एचटी/एलटी केबल, लाइट, पंखे, स्विचबोर्ड आदि सहित विद्युत सामग्री की आपूर्ति।	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20	यूपीएस बैटरियों की आपूर्ति	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	सुरक्षा उपकरणों जैसे डीएफएमडी, सीसीटीवी, एचएचडी, बूम बैरियर आदि की आपूर्ति/रखरखाव।	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	ट्रेड का नाम	I ₹ 2 लाख तक	II Above ₹ 2 Lakhs upto ₹ 5 Lakhs	III ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक	IV ₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख तक	V ₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख तक	VI ₹ 50 लाख से ₹ 75 लाख तक	VII ₹75 लाख से ₹100 लाख तक
22	योग्य इलेक्ट्रीशियन को नियुक्त करके सबस्टेशन और अन्य विद्युत उपकरणों का संचालन और रखरखाव	✓	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं
23	चिमनी/हॉब्स और हुड का रखरखाव	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24	बड़े कार्यालय परिसर में विद्युत सुरक्षा ऑडिट आयोजित करना	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	बड़े वाणिज्यिक/कार्यालय भवन में ऊर्जा लेखा परीक्षा करना	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	पानी के पंपों, प्रेशर पंप, सबमर्सिबल पंप और अन्य सभी प्रकार के पंपों की आपूर्ति और रखरखाव।	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	डीजल जनरेटर का रखरखाव	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	एमईपी सेवाओं के लिए परामर्श (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी, प्लंबिंग, एचवीएसी) - 1 तक की श्रेणी के लिए आवश्यक।	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

खंड – 2

पैनल के लिए पूर्व-अर्हता मानदंड

संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाने के लिए पूर्व-योग्यता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	पूर्व-अर्हता मानदंड	विवरण	जमा किए जाने वाले दस्तावेज
1	पिछले अनुभव की अवधि	• आवेदक के पास ऐसे समान कार्यों को निष्पादित करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (समान कार्य का अर्थ है – जिस माह में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उस माह से पिछले माह के अंतिम दिन तक पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक ट्रेड के लिए विनिर्दिष्ट कार्यों का विवरण) • आवेदक को अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य का विवरण इंगित हो। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य की शुरुआत और समाप्ति की तारीख, यदि कोई हो, आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। • आवेदक को न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। (अर्थात, यदि विज्ञापन 2026 में जारी किया गया है, तो आवेदक द्वारा 2021 में कार्य किया होना चाहिए)।	• पंजीकरण/निगमन के प्रमाण पत्र की प्रति, यदि कोई हो। • ग्राहक द्वारा जारी किए गए पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त किसी भी कार्य आदेश और उसके पूर्णता प्रमाण पत्र (टीडीएस प्रमाण पत्र की प्रति के साथ) की प्रति। • जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, ग्राहक सूची में उनके लिए किए गए कार्यों का विवरण हो।
2	प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य (अर्हता)	• जिस महीने में आवेदन आमंत्रित किए जाएं, उससे पिछले महीने के अंतिम दिन तक पिछले 5 वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक पूरे किए गए समान कार्यों का अनुभव निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:	• ग्राहक द्वारा जारी किए गए कार्य आदेश की प्रति। • टीडीएस प्रमाण पत्र की प्रति। • ग्राहक द्वारा जारी किया गया पूर्णता प्रमाण पत्र।

इसी तरह के पूर्ण कार्यों की संख्या	श्रेणी- I ₹2 लाख तक रु. (लाख में)	श्रेणी - II ₹2-₹5 लाख रु. (लाख में)	श्रेणी -III ₹5-₹10 लाख रु. (लाख में)	श्रेणी - IV ₹10 - ₹25 लाख रु. (लाख में)	श्रेणी - V ₹25-₹50 लाख रु. (लाख में)	श्रेणी - VI ₹50-₹75 लाख रु. (लाख में)	श्रेणी - VI ₹75-₹100 लाख रु. (लाख में)
इसी तरह के पूर्ण तीन (3) कार्य जिसमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40 प्रतिशत के बराबर की राशि से कम नहीं होनी चाहिए	0.8	2	4	10	20	30	40
या							
इसी तरह के पूर्ण दो (2) कार्य जिसमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत के बराबर की राशि से कम नहीं होनी चाहिए	1	2.5	5	12.5	25	37.5	50
या							
इसी तरह के पूर्ण एक (1) कार्य जिसमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत के बराबर की राशि से कम नहीं होनी चाहिए	1.6	4	8	20	40	60	80

3	वार्षिक कारोबार	संविदाकारों का पैनल बनाने की स्थिति में, जहाँ अनुमानित लागत निम्न बैंड और ऊपरी	• पिछले तीन वर्षों के सहायक वित्तीय विवरणों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट

		बैंड के बीच की सीमा के रूप में निर्धारित अनुमानित लागत को कारोबार की गणना के लिए माना जाएगा। उदाहरण के लिए, (i) ₹25-50 लाख के बीच की लागत वाले कार्यों के लिए संविदाकारों का पैनल, तो आवश्यक वार्षिक कारोबार ₹50 लाख होना चाहिए। (ii) ₹50-75 लाख के बीच की लागत वाले कार्यों के लिए संविदाकारों का पैनल, तो आवश्यक वार्षिक कारोबार ₹75 लाख होना चाहिए।	का प्रमाण पत्र। [अर्थात 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024; 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025; और 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026]
4	ऋणशोधन क्षमता	आवेदक को आवेदक के बैंकर द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो संबंधित श्रेणी की ऊपरी सीमा के बराबर राशि के लिए पैनल में शामिल करने के प्रयोजन हेतु है जिसके लिए पैनल में शामिल करने हेतु आवेदन किया गया है।	बैंकर का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट **(अनुलग्नक II)**
5	सेवा सेटअप (इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, प्रौद्योगिकी संबंधी निविदाओं के लिए)	निर्दिष्ट कार्य के लिए पूर्ण सेवा सेट अप या तो अहमदाबाद में या निकटवर्ती शहर / स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए, जहां से बिक्री के बाद आवश्यक गुणवत्ता सेवाएं नियमित रूप से प्रदान की जा सकें।	पूर्ण सेवा सेट-अप के लिए प्रमाण।
6	पंजीकरण और लाइसेंस आवश्यक	आवेदक के पास लागू संबंधित ट्रेडों (विद्युत संविदाकार लाइसेंस, मरम्मत, और अग्निशमन उपकरणों का रखरखाव, आदि), पैन, सक्रिय जीएसटीआईएन, ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमएसएमई प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), सीपीपीपी और जीईएम पंजीकरण आदि के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि प्रोपराइटर के मामले में पैन को 'आधार' से जोड़ा जाना चाहिए।	संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक प्रमाण पत्र/लाइसेंस की प्रतियां। यदि फर्म एमएसएमई है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर" के साथ उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

खंड - 3

आवेदकों के लिए सामान्य अनुदेश

1) इच्छुक आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in से **'निविदाएं (Tenders)' लिंक के अंतर्गत** आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या **उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, चौथी मंजिल, गांधी पुल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009 से** किसी भी कार्य दिवस को **पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 6 बजे** के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

2) पहले से पैनलबद्ध (Empaneled) संविदाकारों/ आपूर्तिकर्ताओं को भी नए सिरे से पैनल बनाने के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

3) इच्छुक आवेदक एकल या एकाधिक ट्रेड और किसी भी या सभी श्रेणियों के लिए पैनलबद्धता हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदक एक से अधिक ट्रेड और एक (1) से अधिक श्रेणी के लिए आवेदन करने की इच्छा रखता है, तो उसे प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग आवेदन जमा करना होगा। आवेदकों को पूर्व-अर्हता (Pre-Qualification) दस्तावेजों वाले लिफाफे पर और अग्रेषण पत्र के शीर्ष पर भी उस ट्रेड और श्रेणी (श्रेणियों) का नाम लिखना आवश्यक है जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4) आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन पत्र वाले मुहरबंद लिफाफे पर अनिवार्य रूप से अनुबंध IV के अनुसार " वर्ष 2027-2030 के लिए पैनलबद्धता - संपदा विभाग" – लिख कर प्रस्तुत करना होगा और इसे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, मुख्य कार्यालय भवन, गांधी पुल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009 को दिनांक 23 नवंबर 2026 को अपराह्न 5 बजे तक या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा।

5) संवीक्षा के दौरान, यदि किसी भी आवेदक के पास अपेक्षित पूर्व-अर्हता नहीं पाई जाती है या उसने मिथ्या/ गलत जानकारी प्रस्तुत की है, तो उसका आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य होगा। केवल उन आवेदकों के आवेदनों पर आगे कार्रवाई की जाएगी जो निर्दिष्ट पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं।

6) ग्राहक के प्रमाण पत्र के संबंध में, सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों हेतु प्रमाण पत्र संबंधित कार्यकारी अभियंता या उसके समकक्ष या उच्च पद के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए, टीडीएस (TDS) प्रमाण पत्रों की प्रतियां जमा की जानी चाहिए। रिज़र्व बैंक ग्राहक/ बैंकर की रिपोर्टों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

7) पैनल 01 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2030 तक, या अस्तित्व में आने की तिथि से 31 मार्च 2030 तक वैध रहेगा, जो निर्दिष्ट किए गए अनुसार कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा के अधीन होगा।

8) रिज़र्व बैंक आवेदकों को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

9) आवेदन पत्र पर संगठन की ओर से उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो ऐसा करने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत (सक्षम) है।

10) इस विषय में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए, आवेदक आवेदन जमा करने के निर्धारित समय से पहले बैंक के निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

(ए) श्री लवकेश मीणा, प्रबंधक (तकनीकी-सिविल) - 079-27548424
(बी) श्री बलराम पंचाल (तकनीकी-सिविल) - 079-27548426
(सी) श्री पंकज दंदेलिया (तकनीकी - विद्युत) - 079-27548423

खंड- 4

संविधिक प्रावधान और आवेदकों के लिए अन्य अनुदेश

1) जो आवेदक पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करते हैं, पैनलबद्धता के लिए उन्हीं पर विचार किया जाएगा।

2) आवेदकों को संलग्न प्रोफ़ॉर्मा के अनुसार अपने संगठन, तकनीकी अनुभव, तकनीकी कर्मियों, अतिरिक्त क्षमता, सक्षमता और अपनी वित्तीय स्थिति के साक्ष्य के बारे में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसे गोपनीय रखा जाएगा।

3) कोरे (ब्लैंक) आवेदन पत्र के साथ **अनुबंध-I के अनुसार ग्राहकों द्वारा जारी ग्राहक प्रमाण पत्र (क्लाइंट सर्टिफिकेट)** का एक प्रारूप और **अनुबंध-II के अनुसार बैंकर प्रमाण पत्र (सॉल्वेंसी)** संलग्न हैं। आवेदक को मुहरबंद लिफाफे में अपने उन ग्राहकों के ऊपर उल्लिखित ग्राहक प्रमाण पत्र जमा करने होंगे, जिनके लिए उन्होंने आवेदन आमंत्रण सूचना में वर्णित पूर्व-अर्हता मानदंडों के अनुसार पात्र कार्यों को निष्पादित किया है।

4) इसी तरह, आवेदकों को उस सर्वोच्च श्रेणी की ऊपरी सीमा की समतुल्य राशि के लिए, जिसके लिए पैनलबद्धता की मांग की गई है, **अपने बैंकर/ बैंकरों से उनके के आधिकारिक लेटरहेड पर उक्त बैंकर प्रमाण पत्र (सॉल्वेंसी) प्राप्त** करना होगा और इसे आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। ऐसे प्रमाण पत्र **क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, मुख्य कार्यालय भवन, गांधी पुल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009** के नाम संबोधित होने चाहिए और मुहर बंद लिफाफे में उनके आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

5) सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) द्वारा जारी ग्राहक प्रमाण पत्र पर कार्यकारी अभियंता या उसके समकक्ष या उच्च पद के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए और संविदाकार द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त भुगतानों के पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह समर्थित होना चाहिए।

6) **निजी संगठन द्वारा जारी ग्राहक प्रमाण पत्र के साथ निष्पादित कार्य से जुड़ी अवधि से संबंधित टीडीएस (TDS) प्रमाण पत्र** भी संलग्न होने चाहिए।

7) विनिर्दिष्ट प्रारूप में निर्दिष्ट प्रमाण पत्रों के बिना प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बैंक के पास प्रस्तुत किए गए इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार होगा।

8) जिन आवेदकों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय के लिए कोई कार्य किया है, वे निर्दिष्ट प्रारूप में उन कार्यों का विवरण प्रदान करेंगे (यदि ऐसे कार्य पांच से अधिक हैं, तो उच्चतम संविदा राशि से शुरू करते हुए कम से कम पांच कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा) ।

9) आवेदन पत्र पर संगठन की ओर से उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो ऐसा करने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत (सक्षम) है। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर उचित रूप से हस्ताक्षर और मुहर (स्टैम्प) लगी होनी चाहिए।

10) यदि आवेदन पत्र में पूरा विवरण देने के लिए स्थान अपर्याप्त है, तो ऐसी जानकारी को एक अलग कागज की शीट पर, विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद करके, उसमें विवरण के भाग, क्रम संख्या और पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुए पूरक दस्तावेज़ के रूप में संलग्न किया जा सकता है।

11) **जो आवेदक ऐसे किसी भी ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहता है जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता हो, उसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।**

12) विशेषज्ञता वाले कार्यों जैसे वॉटर प्रूफिंग / अग्निशामक यंत्रों की रीफिलिंग आदि के लिए, आवेदक संबंधित निर्माता द्वारा जारी अधिकृत एप्लिकेटर / डीलर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

13) संविदाकारों के चयन पर निर्णय लेते समय, विनिर्देशों के अनुसार और समय सारणी के भीतर अच्छी गुणवत्ता का कार्य करने की क्षमता, अनुभव, प्रदर्शन, निष्पादित कार्यों के मूल्य और सक्षमता पर जोर दिया जाएगा।

14) सभी सूचीबद्ध संविदाकारों के कार्य निष्पादन की समीक्षा बैंक द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी और नीचे दिए गए अनुसार उनकी ओर से एक या एक से अधिक विफलताएं होने की स्थिति में उनका नाम संविदाकारों की अनुमोदित सूची से हटाया जा सकता है:

ए) एक वर्ष की अवधि में लगातार तीन अवसरों पर निविदा आमंत्रण सूचना (कॉल नोटिस) का उत्तर देने में विफल रहता है या आवंटित किसी संविदा को निष्पादित करने में विफल रहता है।

बी) लगातार आवंटित दो संविदाओं में दोषपूर्ण कार्य करने के लिए जिम्मेदार साबित होता है।

सी) संविदा की किसी भी महत्वपूर्ण शर्त, जैसे- समय सारणी बनाए रखना और कारोबारी व्यवहार आदि का लगातार उल्लंघन करता है।

डी) पंजीकरण/ पैनलबद्धता की शर्त का पालन करने में विफल रहता है या पंजीकरण/ पैनलबद्धता के समय झूठे विवरण दिए जाने की बात पाई जाती है।

ई) आवेदक को दिवालिया / शोधन-अक्षम, समापन (वाईंड अप) हुआ, विघटित हुआ अथवा विभाजित हुआ घोषित किया गया है या घोषित किए जाने की प्रक्रिया में है।

एफ़) उसके द्वारा श्रम नियमों और विनियमों का लगातार उल्लंघन किया जाता है।

जी) सत्यनिष्ठा संहिता (code of integrity) के उल्लंघन के अलावा आवेदक द्वारा किए गए किसी भी कार्य या चूक के लिए, जो बैंक की राय में बेदखली (डीबार) का आधार बन सकता है, जैसे निकृष्ट दर्जे की सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करना, कार्य बीच में छोड़ देना, कम गुणवत्ता का कार्य, निविदा की शर्तों का पालन न करना आदि।

एच) यदि आवेदक को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है — (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (ख) सार्वजनिक खरीद संविदा के निष्पादन के हिस्से के रूप में किसी भी जीवन या संपत्ति के नुकसान का कारण बनने के लिए अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए भारतीय दंड संहिता या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत दोषी ठहराया जाना।

15. श्रम कानूनों और संविधिक दायित्वों का अनुपालन:

संविदाकार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए सभी लागू श्रम कानूनों, नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करेगा। इसमें मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और समय-समय पर लागू ऐसे अन्य विनियम शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(क) लाइसेंसिंग और पंजीकरण: श्रमशक्ति (मैनपावर) की आपूर्ति के लिए, संविदाकार के पास निम्नलिखित वैध लाइसेंस/ पंजीकरण होना और उसे बनाए रखना अनिवार्य है:

(i) संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत जारी श्रम लाइसेंस;

(ii) संबंधित श्रम विभाग में पंजीकरण;

(iii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और भविष्य निधि (PF) अधिकारियों के पास वैध पंजीकरण/ कोड।

वैध लाइसेंस या पंजीकरण को बनाए रखने में विफल होने पर संविदा का तात्विक उल्लंघन (मटेरियल ब्रीच) माना जाएगा।

(ख) कर्मचारियों की तैनाती: कार्य की शुरुआत से पहले, संविदाकार को बैंक के रिकॉर्ड और सत्यापन के लिए तैनात किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों का पूरा विवरण (नाम, भूमिकाएं और कौशल के स्तरों सहित) प्रस्तुत करना होगा। बैंक द्वारा अनुपयुक्त माने जाने वाले किसी भी कर्मी को अस्वीकार करने का अधिकार बैंक अपने पास सुरक्षित रखता है।

16. लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम:

संविदाकार कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करेगा:

(ए) आंतरिक तंत्र: संविदाकार बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए अपने स्तर पर एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करेगा। संविदाकार को अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

(बी) बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें: संविदाकार के कर्मचारी द्वारा बैंक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज कराई गई लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

(सी) दायित्व: यदि किसी घटना में उसके कर्मचारी शामिल हैं तो संविदाकार भुगतान के लिए आवश्यक किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा (उदाहरण के लिए, यदि संविदाकार के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित होती है तो बैंक कर्मचारी को मौद्रिक राहत देना) ।

(डी) जागरूकता: संविदाकार अपने कर्मचारियों को लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित कार्यस्थल आचरण से जुड़े मामलों पर शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार है।

17. क्षतिपूर्ति और बैंक का दायित्व-मुक्त होना:

(ए) किसी भी श्रम कानून, संविधिक दायित्वों या इस संविदा की शर्तों का पालन करने में संविदाकार की विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, विवाद, कानूनी कार्यवाही या जुर्माने के लिए बैंक को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

(बी) बैंक को किसी भी तरह से संविदाकार या संविदाकार द्वारा लगाए गए श्रमिकों के कृत्यों, भूलों या चूकों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

(सी) संविदाकार संविधिक भुगतानों (पीएफ, ईएसआई, न्यूनतम मजदूरी आदि सहित) या श्रम कानूनों के संबंध में संविदाकार द्वारा किसी भी लापरवाही, चूक या गैर-अनुपालन के कारण बैंक द्वारा किए गए या वहन किए गए सभी दायित्वों, लागतों, प्रभारों और खर्चों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्त (indemnify) करेगा और क्षतिपूर्त करता रखेगा। संविदाकार की चूक के कारण बैंक द्वारा भुगतान की गई ऐसी कोई भी राशि बैंक को देय ऋण के रूप में संविदाकार से वसूली योग्य होगी।

(डी) संविदाकार द्वारा तैनात किए गए रख-रखाव कर्मचारियों में से किसी के भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने, किसी की मृत्यु, चोट के लिए किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए रिज़र्व बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, जो उनके कर्तव्यों के दौरान उत्पन्न हो सकती है।

18. GeM और CPPP पर वैध पंजीकरण:

ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी संभावित संविदाकारों/ आपूर्तिकर्ताओं के पास गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) (अर्थात https://gem.gov.in/) और/अथवा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) (अर्थात https://etenders.gov.in/eprocure/app) पर एक वैध और सक्रिय पंजीकरण होना आवश्यक है। संविदाकारों / आपूर्तिकर्ताओं को अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की सभी खरीद संबंधी गतिविधियों के लिए इन प्लेटफार्मों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

इस संबंध में तकनीकी जानकारी से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आवेदक कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबरों पर कॉल करें: 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-4493395।

19. संविदाकार, अपने स्वयं के खर्चे पर, बैंक द्वारा आवंटित प्रत्येक कार्य के लिए व्यक्ति और संपत्ति आदि को होने वाली सभी प्रकार की हानियों या क्षतियों को उपयुक्त रूप से कवर करते हुए तृतीय पक्ष दायित्व बीमा पॉलिसी (थर्ड पार्टी बीमा), कर्मचारी मुआवजा पॉलिसी, जैसा भी लागू हो, और व्यापक समग्र जोखिम पॉलिसी करवाएगा और उसे बनाए रखेगा।

20. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा:

यदि संविदा के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले या कार्यों के निष्पादन के संबंध में बैंक और संविदाकार/ प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो संबन्धित पक्षों को उस तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर, जिस तिथि को कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को सौहार्दपूर्ण बातचीत करने/ बातचीत में शामिल होने का नोटिस देता है, सद्भावपूर्वक, आपसी बातचीत के माध्यम से इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

यदि उक्त अवधि के भीतर सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं होता है, तो विवाद को समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से संदर्भित और अंततः हल किया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा दिया गया फैसला (अवार्ड) सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा और संविदा पर लागू होगा।

उन मामलों में जहां बैंक ने किसी मध्यस्थता संबंधी फैसले (अवार्ड) को चुनौती दी है और इसके परिणामस्वरूप, मध्यस्थता फैसले की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, मध्यस्थता फैसले का 75% (जिसमें उक्त फैसले की तिथि तक का ब्याज शामिल हो सकता है) बैंक द्वारा एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के बदले संविदाकार को भुगतान किया जाएगा। बैंक गारंटी उस समय तक वैध होगी जब तक कि विवाद का अंतिम निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता। बैंक गारंटी, शुरू में, भुगतान की तिथि से कम से कम पांच साल के लिए वैध हो सकती है और बैंक गारंटी की समाप्ति तिथि से पहले, बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार, आगे की अवधि के लिए नवीकृत की जाएगी। संविदाकार द्वारा बैंक गारंटी का विस्तार न करने की स्थिति में, बैंक गारंटी को इनवोक कर सकता है। बैंक गारंटी केवल ऊपर वर्णित मध्यस्थता फैसले के उक्त 75% के लिए होगी न कि उस ब्याज के लिए जो बैंक को देय हो सकता है यदि बाद का न्यायलयीन निर्णय उक्त राशि की वापसी की अपेक्षा व्यक्त करता है। मध्यस्थता संबंधी फैसले के संबंध में एक प्रोफ़ॉर्मा बैंक गारंटी अनुबंध 27 में दी गई है। बैंक गारंटी केवल ऊपर वर्णित मध्यस्थता निर्णय के उक्त 75% के लिए होगी न कि उस ब्याज के लिए जो बैंक को देय हो सकता है यदि बाद का न्यायलयीन आदेश उक्त राशि की वापसी की आवश्यकता प्रस्तुत करता है।

21. गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता:

संविदाकार/ आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक खरीद के लिए सत्यनिष्ठा संहिता के तहत संविदा के किसी भी निष्पादन में किसी भी प्रकार के हितों के टकराव का स्वतः संज्ञान लेते हुए सक्रिय रूप से घोषणा करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा करने में विफलता इस सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

किसी भी बोलीकर्ता को, चाहे बोली दस्तावेज में पूछा गया हो या नहीं, पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी देश में किसी भी संस्था के साथ ऐसी सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी पिछले उल्लंघन या किसी अन्य क्रय संस्था द्वारा बेदखल किए जाने की घोषणा करनी होगी। ऐसा करने में विफलता इस सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

स्वैच्छिक प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, इस प्रकार की घोषणाओं का अर्थ ऐसी घोषणा करने वाले बोलीकर्ता के लिए स्वचालित अयोग्यता नहीं होगा। घोषित हित के टकराव का मूल्यांकन किया जा सकता है और यदि संभव हो तो क्रय संस्था द्वारा क्षति के शमन से जुड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इसी तरह, अन्यत्र सत्यनिष्ठा संहिता के पिछले उल्लंघनों की स्वैच्छिक रिपोर्टिंग का मूल्यांकन किया जा सकता है और बेदखली के विभिन्न श्रेणी के मामलों को छोड़कर, निविदा और उसके बाद की संविदा में बोलीकर्ता के कार्यों पर सतर्क होकर नजर रखी जा सकती है।

22. गलत कर दावे और सांविधिक गैर-अनुपालन:

संविदाकार यह वारंटी देगा कि वह बैंक को प्रस्तुत किए गए सभी चालान (इनवाइस), बिल और दावे संबंधित कराधान अधिनियमों के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करेगा। संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि:

(ए) उद्धृत वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीएन) आपूर्ति के समय वैध, सक्रिय और पंजीकृत संस्था के विवरण से मेल खाती है।

(बी) निर्दिष्ट नामावली की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोड आपूर्ति की गई वस्तुओं/ सेवाओं से सटीक रूप से मेल खाता है।

(सी) प्रभारित किए गए विभिन्न करों की दर निर्दिष्ट एचएसएन कोड से संबंधित लागू संविधिक अधिसूचना या सरकार द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक अधिसूचनाओं का सख्त अनुपालन करती हो।

(डी) आपूर्ति के स्थान, टैक्स हेड (CGST/SGST/IGST), और उपकर (सेस) सहित अन्य सभी विवरणों की सही गणना और उल्लेख किया गया है।

संविदाकार को देय किसी भी वर्तमान या भविष्य के बकाए के खिलाफ ऐसी राशि को समायोजित करके, या तत्काल रिफंड की मांग करके भुगतान की गई अधिक राशि (प्रभारित कर और कानूनी रूप से देय टैक्स के बीच का अंतर) को वसूलने का एकतरफा अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

सोशल मीडिया नीति

संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक परिसर में तैनात उसके कर्मचारी सोशल मीडिया नीति का पालन कर करें। अपने कर्तव्यों के दौरान श्रमिकों के पास आई कोई भी आधिकारिक जानकारी या सामग्री, चाहे वह गोपनीय हो या अन्यथा रूप में हो, वे उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। जहां ऐसी जानकारी या सामग्री पोस्ट करने की मंशा हो, उसे बैंक से पूर्व अनुमति मांगने के विशिष्ट अनुरोध के साथ बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक बिना कोई कारण बताए इस प्रकार की अनुमति देने से मना कर सकता है। पोस्ट की गई सभी प्रकार सामग्री के लिए संविदाकार जिम्मेदार रहेगा और उसे हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि यदि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित तरीके से ऐसी जानकारी का उपयोग किया जाता है तो वे सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट का अप्रत्यक्ष दायित्व रखते हैं। बैंक से जुड़े

या लेनदेन करने वाले अन्य कर्मचारियों या व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण जैसे टेलीफोन नंबर, डाक पते या ईमेल पते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किए जाने चाहिए। बैंक के लोगो या बैंक की किसी अन्य फोटोग्राफ/ इमेज का उपयोग सोशल मीडिया साइटों पर नहीं किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से और विशिष्ट रूप से अनुमति दिए जाने तक, बैंक के परिसर में ली गई या बैंक के आयोजनों से संबंधित किसी भी प्रकार की फोटो या वीडियो का उपयोग बैंक की स्पष्ट सहमति के बिना निषिद्ध है।

24. बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

25. प्राधिकृत डीलरों और आवेदकों को पुष्टि के लिए अपने दावे का आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

26. यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, चौथी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, गांधी पुल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009 से प्राप्त किया जा सकता है।

मैंने/हमने उपरोक्त सभी अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम इन अनुदेशों का पालन करेंगे।

हस्ताक्षर:
नाम:
आवेदक की मुहर:
स्थान:
तिथि:

खंड - 5

आवेदन का प्रारूप

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक,
संपदा विभाग, मुख्य कार्यालय भवन,
गांधी पुल के पास, आश्रम रोड,
अहमदाबाद-380009

महोदय,

आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न पैनलबद्धता सूचना, आवेदकों के लिए सामान्य अनुदेशों और अन्य सभी प्रासंगिक जानकारियों को पढ़ने और समझने के बाद।

मैं/ हम एतद्द्वारा संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के रूप में निम्नलिखित ट्रेड (ट्रेड्स) और श्रेणी (श्रेणियों) में बैंक में पैनलबद्धता के लिए आवेदन करता हूँ/ करते हैं:

क्र.सं.	ट्रेड (Trade)	श्रेणी/ श्रेणियां (Category /ies)

मैं/ हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

मैं/हम समझते हैं कि यदि बाद की किसी तिथि में कोई झूठी जानकारी पाई जाती है, तो मेरे/ हमारे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हमारे और भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के बीच की गई कोई भी भविष्य की संविदा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमान्य मानी जाएगी।

मैंने/ हमने निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में अर्हक कार्यों और ग्राहक की गोपनीय रिपोर्ट का विवरण प्रदान किया है।

मैंने/हमने निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में अपने बैंकर का विवरण और बैंकर प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

मैं/ हम इस बात से भी सहमत हैं कि यदि संलग्न शीटों में मेरे/ हमारे द्वारा सूचीबद्ध कार्यों के बारे में पूछताछ की जाती है या संलग्न शीटों में दी गई जानकारी पर कोई अन्य पूछताछ की जाती है तो मुझे/ हमें कोई आपत्ति नहीं है।

मैं/ हम सहमत हैं कि संविदाकारों/ आपूर्तिकर्ताओं/ वेंडरों की पैनलबद्धता में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मुझ पर/ हम पर वह बाध्यकारी होगा।

हस्ताक्षर:
नाम एवं पदनाम:
पता:

ईमेल आईडी:
मोबाइल / लैंडलाइन नं.:

स्थान:

तिथि:
आवेदनकर्ता की मुहर
(कृपया ध्यान दें: सभी फ़ील्ड अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं)

भाग - I

मूल जानकारी

जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया गया है, उसका नाम:
जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया गया है, उस श्रेणी की संख्या:

क्र.सं.	ब्योरा	विवरण
1.	संगठन/ आवेदक के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता (ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर)	
2.	संगठन का प्रकार (क्या एकल स्वामित्व, साझेदारी/ प्राइवेट लिमिटेड/ लिमिटेड या निकाय कॉर्पोरेट आदि है) कृपया संबंधित प्रमाणपत्र संलग्न करें ।	
3.	संगठन/ फर्म के प्रोपराइटर/ भागीदारों/ निदेशकों के नाम	
4.	पंजीकरण का विवरण (साझेदारी फर्म, कंपनी आदि) पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, पंजीकरण संख्या आदि का उल्लेख करते हुए इसके व्यवसाय/ गतिविधि का उल्लेख करें। कृपया संबंधित प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) / व्यापार लाइसेंस / जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र/ एमएसएमईडी पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत है)/ ईएसआईसी पंजीकरण / ईपीएफओ पंजीकरण आदि/ अन्य लाइसेंस या प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें*	
5.	कार्य के संबंधित क्षेत्र में अनुभव। कृपया इसके समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।	
6.	उस कार्यालय का पता जिसके माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रस्तावित कार्य संभाला जाएगा (प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल / लैंडलाइन, ई-मेल आईडी)	
7.	क्या आवेदन की गई श्रेणी (श्रेणियों) के भीतर की लागत वाले कार्यों को करने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम हैं। यदि हां, तो बैंकर के नाम और उनके पूर्ण पते, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ उक्त कार्य को करने के लिए संगठन की वित्तीय क्षमता को दर्शाने के लिए पर्याप्त और संतोषजनक साक्ष्य। (बैंक से बैंकर प्रमाण पत्र (सॉल्वेंसी) और टीडीएस प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा) ।	
8.	31 मार्च 2026 (आयकर वर्ष) को समाप्त पिछले 3 वर्षों के लिए संगठन का वार्षिक टर्नओवर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलन पत्र, आईटी-रिटर्न की प्रति और लाभ एवं हानि विवरण प्रस्तुत किया जाएगा	2023 – 2024: 2024 – 2025: 2025 – 2026:

9.	अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी या प्रतिभूति के अन्य समकक्ष रूप प्रदान करने की क्षमता।	
10.	दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पैन (PAN), जीएसटीइन (GSTIN) का विवरण।	पीएएन: जीएसटीएन:
11.	इलेक्ट्रिकल संविदाकार लाइसेंस (विद्युत कार्यों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए)	सीपीपीपी जीईएम की प्रति एवं संख्या
12.	क्या स्वीकृत संविदाकारों के रूप में किसी सरकारी/ अर्ध-सरकारी उपक्रमों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / वित्तीय संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं और यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	
13.	अहमदाबाद या नजदीकी शहर में सेवा व्यवस्था का विवरण (स्थानीय कार्यालय का पता, यदि कोई हो)	
14.	क्या संगठन में कोई तकनीकी कर्मी विद्यमान हैं और यदि हां, तो उनके अनुभव, योग्यता आदि का विवरण।	विवरण भाग-III में प्रस्तुत किया जाए
15.	कुशल, अकुशल, योग्य लाइसेंस प्राप्त लोक निर्माण विभाग (पीडबल्यूडी) पर्यवेक्षक/ वायरमैन का विवरण (विद्युत कार्यों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए)	
16.	उल्लेख करें यदि पिछले 5 वर्षों के दौरान निष्पादित/ निष्पादित किए जा रहे किसी भी कार्य में लंबित किसी मुकदमेबाजी (लिटिगेशन), या किसी सिविल वाद में शामिल हैं। यदि हां, तो कृपया परियोजना का नाम, नियोक्ता, और कार्य की प्रकृति, अनुबंध मूल्य, कार्य आदेश और तिथि और मुकदमे का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।	

*** प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल से संबंधित ट्रेड के लिए आवेदन करने की इच्छा रखने वाले आवेदक को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।**

स्थान:
तिथि:
मुहर के साथ आवेदक के हस्ताक्षर

भाग II - पूर्व अनुभव

1. **(ए) फर्म/ एजेंसी द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान निष्पादित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची**

क्र. सं.	कार्य का नाम और स्थान	कार्य की प्रकृति और विशिष्टता	मालिक (सरकारी /अर्ध-सरकारी/ निजी निकाय) का नाम, पता और टेलीफोन नं.	अधिकारी /आर्किटेक्ट का नाम, पूरा पता और टेलीफोन नं. जिनके तहत कार्य निष्पादित किया गया था	संविदा राशि ₹ में	कार्य पूरा होने की अवधि कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की अवधि: कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	क्या कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था, या संविदा किसी भी पक्ष से समाप्त कर दिया गया था	कार्य पूरा होने में देरी के कारण सहित अन्य प्रासंगिक जानकारी, यदि कोई हो

नोट: भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी केंद्र में पूर्व अनुभव और कार्य का विवरण अलग से प्रदान किया जाए। (निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार सारणीबद्ध रूप में) *

आवेदक के हस्ताक्षर

(मुहर सहित)

***यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।**

1. **(बी) वर्तमान में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची**

क्र. सं.	**कार्य का नाम और स्थान**	**कार्य की प्रकृति और विशिष्टता**	**मालिक (सरकारी /अर्ध-सरकारी/ निजी निकाय) का नाम, पता और टेलीफोन नं.**	**अधिकारी /आर्किटेक्ट का नाम, पूरा पता और टेलीफोन नं. जिनके तहत कार्य निष्पादित किया गया था।**	**संविदा राशि ₹ में**	**कार्य पूरा होने की अवधि**	**पूरा होने की अवधि:**	**क्या कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था, या संविदा किसी भी पक्ष से समाप्त कर दिया गया था**	**कार्य पूरा होने में देरी के कारण सहित अन्य प्रासंगिक जानकारी, यदि कोई हो**
						कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	**कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि**		

नोट: किसी भी केंद्र में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुभव और कार्य का विवरण अलग से प्रदान किया जाए। (निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार सारणीबद्ध रूप में)

आवेदक के हस्ताक्षर

(मुहर सहित)

***यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें**

भाग III

तकनीकी कार्मिकों की सूची, उनकी तकनीकी योग्यताओं, अनुभव आदि का विवरण, आदि।

क्र. सं.	नाम	आयु	योग्यता	अनुभव	किए गए कार्यों का नाम	की गई उन परियोजनाओं का नाम जिनकी लागत ₹___ लाख से अधिक है	आपके संगठन में कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि	टिप्पणियाँ

आवेदक के हस्ताक्षर (मुहर सहित):

***यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।**

अनुलग्नक - I

संविदाकार/ फर्म के कार्य निष्पादन के संबंध में ग्राहक प्रमाण पत्र

(ग्राहक के लेटर हेड पर)

कार्यालय की मुहर सहित रिपोर्टिंग अधिकारी (ग्राहक) के हस्ताक्षर

ग्राहक का नाम और पता (अनिवार्य):

श्री / मेसर्स ---------- द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

ग्राहक का ईमेल पता (अनिवार्य):

संपर्क नंबर (अनिवार्य):

श्री / मेसर्स ---------- द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

1	संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम	
2	करार संख्या और तिथि	
3	करार की राशि	
4	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	
5	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	
6	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	
7	देरी के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि दर्शाएं), यदि कोई हो:	
8	पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि	
9	उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके तहत कार्य निष्पादित किए गए	
10	क्या संविदाकार ने कार्य निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ ओवरसियर नियुक्त किया था?	
11	i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएं)	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ii) घटाई गई दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि, यदि कोई हो	
12	i) क्या संविदाकार मध्यस्थता (Arbitration) के लिए गया था?	
	ii) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि	
	iii) पांच का निर्णय (अवार्ड) द्वारा दी गई कुल राशि	
13	संविदाकार की क्षमताओं पर टिप्पणियां	
	ए) तकनीकी दक्षता	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब

1	संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम	
	बी) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	सी) पर्याप्त टीएंडपी (T&P) जुटाना	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	डी) जनशक्ति जुटाना	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ई) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब

नोट: सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है।

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय मुहर सहित

*निष्पादन रिपोर्ट/ ग्राहक प्रमाण पत्र के संबंध में, सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए कार्यों हेतु प्रमाण पत्र पर संबंधित अधिशासी अभियंता या समकक्ष या उच्च पद के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। निजी कंपनियों के लिए किए गए कार्यों हेतु, साख/ अनुबंध राशि साबित करने के लिए टीडीएस की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(i) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए।

(ii) पूर्व-अर्हता कार्य(यों) में से प्रत्येक के लिए ग्राहक प्रमाण पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, मुख्य कार्यालय भवन, गांधी पुल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009 को संदर्भित मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध - II

अनुसूचित बैंक से बैंकर्स प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, निर्दिष्ट पते वाले मेसर्स / श्री / श्रीमती ....., जो कि हमारे बैंक के ग्राहक हैं, प्रतिष्ठित हैं और जिन्हें रुपये .....(रुपये.....) की सीमा तक किसी भी प्रतिबद्धता के लिए अच्छा माना जा सकता है।

यह प्रमाण पत्र बैंक या इसके किसी भी अधिकारी पर किसी भी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

कृते बैंक_____

नोट:

I. बैंकर्स प्रमाण पत्र (सॉल्वेंसी) बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, जो पैनलबद्ध प्राधिकारी को संबोधित किया गया हो और कवर में मुहरबंद हो।
II. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक में पंजीकृत सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

अनुबंध - III

संविदाकारों / आपूर्तिकर्ताओं के संक्षिप्त विवरण (अधिदेश फॉर्म)

1. एजेंसी का नाम :
2. GSTIN :
3. स्थायी खाता संख्या (PAN) :
4. डाक पता (पिन कोड सहित) :
5. संपर्क व्यक्ति :
6. टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन) :
7. मोबाइल नंबर :
8. ईमेल आईडी :
9. बैंक का नाम :
10. शाखा का नाम :
11. खाता प्रकार :
12. खाता संख्या :
13. आईएफ़एससी कोड :
14. क्या MSMED पंजीकृत है? :
15. (पहचान संख्या प्रदान करें) :

कंपनी / कार्यालय की मुहर **तिथि सहित हस्ताक्षर**

अनुबंध - IV

सार्वजनिक संस्थान(नों) द्वारा बेदखली (डीबारमेंट) की घोषणा के संबंध में निविदा में वचनपत्र:

(आवेदक द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

1. मैं / हम ..... (फर्म का नाम) यह घोषित करता/करते हूँ/हैं कि

   (ए) मैं / हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान / संस्था द्वारा ..... (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि) के अनुसार बेदखल / निलंबित / काली सूची में नहीं डाली गई है / हैं।

   (बी) मैं / हम या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म* ने ..... (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि) के अनुसार पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/ संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

   (सी) मैं/ हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* बोली जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश, 2017 के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीद संस्था द्वारा बेदखल नहीं की गई है / हैं।

   (डी) मैं/ हम भारत या अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/ संस्था द्वारा मेरे/ हमारे या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म* को बेदखल/ निलंबित/ प्रतिबंधित सूची (काली सूची) में डाले जाने के मामले में जल्द से जल्द बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे।

2. मैं / हम ..... (फर्म का नाम) यह घोषित करता/करते हूँ/हैं कि मैं / हम या हमारी संबद्ध फर्म* ..... (संबद्ध फर्म(ओं) का नाम) को ..... (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा बेदखल / निलंबित / काली सूची में डाला गया है और यह ..... (तिथि) तक प्रभावी है। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(आवेदक की मुहर और हस्ताक्षर)

तिथि:

स्थान:

नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से किसी एक को काट दें जो लागू न हो।

*संबद्ध फर्म: किसी फर्म को "संबद्ध फर्म" तब कहा जाएगा जब प्रबंधन समान हो, या पर्याप्त या अधिकांश शेयर प्रतिबंधित/ निलंबित फर्म के स्वामित्व में हों और इसके आधार पर उसका नियंत्रण निर्णय हो। इसके अलावा सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्म माना जाएगा।

अनुबंध - V

सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में वचनपत्र

(आवेदक द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

1. मैं / हम ..... (फर्म का नाम) यह वचन देता हूँ / देते हैं कि

   (ए) हम संविदा राशि पर ध्यान दिए बिना, हमें दिए गए किसी भी कार्य के लिए लागू सभी सांविधिक आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करेंगे।

   (बी) हम भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद द्वारा दावा की गई किसी भी सांविधिक आवश्यकता के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व/ दावों के खिलाफ भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को बिना किसी विरोध या आपत्ति के क्षतिपूर्ति करेंगे।

(आवेदक की मुहर और हस्ताक्षर)

तिथि:

स्थान:

प्रस्तुत/ अप्रस्तुत दस्तावेजों के लिए जांच सूची

(कृपया पैनल में शामिल करने हेतु आवेदन नीचे बताए गए क्रम में ही जमा करें)

क्र. सं.	दस्तावेज	प्रस्तुत / अप्रस्तुत
1.	विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र	
2.	निगमन प्रमाण पत्र / साझेदारी विलेख, यदि लागू हो	
	संविदाकारों / आपूर्तिकर्ताओं का संक्षिप्त विवरण (अनुबंध - III के अनुसार)	
3.	पैन (PAN) की प्रति	
4.	जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	
5.	MSMED पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, यदि कोई हो	
6.	ईपीएफ (EPF) पंजीकरण की प्रति, यदि कोई हो	
7.	ईएसआईसी (ESIC) पंजीकरण की प्रति, यदि कोई हो	
8.	ग्राहक द्वारा जारी कार्य आदेश की प्रति (पूर्व-अर्हता मानदंड देखें)	
9.	ग्राहक द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र (पूर्व-अर्हता मानदंड देखें)	
10.	टीडीएस प्रमाण पत्र की प्रति (पूर्व-अर्हता मानदंड देखें)	
11.	विधिवत भरा हुआ अनुबंध-I – संविदाकार/ फर्म के निष्पादन के संबंध में ग्राहक प्रमाण पत्र (ग्राहक के लेटर हेड पर)	
12.	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षित बैलेंस शीट या 31 मार्च 2026 को समाप्त पिछले 3 (तीन) वर्षों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी वार्षिक वित्तीय टर्नओवर प्रमाण पत्र। [अर्थात, 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026]	
13.	31 मार्च 2026 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न	
14.	अनुलग्नक-II के अनुसार बैंक के सीलबंद आधिकारिक कवर में बैंकर का सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र	

क्र. सं.	दस्तावेज	प्रस्तुत / अप्रस्तुत
15.	पूर्ण विकसित सेवा सेटअप का प्रमाण	
16.	विधिवत भरा हुआ भाग- I	
17.	विधिवत भरा हुआ भाग- II	
18.	विधिवत भरा हुआ भाग- III	
19.	विधिवत भरा हुआ अनुबंध IV: सार्वजनिक संस्थान(नों) द्वारा बेदखली की घोषणा के संबंध में वचनपत्र	
20.	विधिवत भरा हुआ अनुबंध V: सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में वचनपत्र	
21.	GeM पंजीकरण का विवरण	
22.	CPPP पंजीकरण का विवरण	

आवेदक के हस्ताक्षर (मुहर सहित):

नाम और पता:

मोबाइल नं.:

ईमेल:

मुहरबंद लिफाफे पर उद्धृत करने का प्रारूप

"2027-2030 के लिए पैनल में शामिल करना - संपदा विभाग"

ट्रेड/ श्रेणी की क्र. सं.:

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिज़र्व बैंक,

संपदा विभाग,

मुख्य कार्यालय भवन,

गांधी पुल के पास,

आश्रम रोड,

अहमदाबाद-380009

फोन नं.: 079-2754 8413

प्रेषक,

आवेदक का नाम पता:

संपर्क नं.: (अनिवार्य)

ईमेल आईडी: (अनिवार्य)